भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 352

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन में कमी

352. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्रीमती भारती पारधीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2023-2024 हेतु कोयला उत्पादन अपने उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2026 तक शुष्क ईंधन के आयात को घटाकर शून्य करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं;

(ङ) क्या कोल इंडिया के उत्पादन में संविदात्मक कामगार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा संविदात्मक कामगारों/श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वित्त वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 1012.14 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 997.826 मिलियन टन (मि.ट.) था।

(ख) : लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोयला कम्पनियों के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नानुसार हैं:

i. भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) से संबंधित मुद्दे।

ii. वानिकी और पर्यावरण मंजूरी में विलंब।

iii. निकासी एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाएं।

iv. कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे.

v. कुछ भूमिगत खानों में भण्डारण सामग्री की कमी तथा प्रतिकूल भू-खनन स्थितियां।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जोर कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में कोयले के अनावश्यक आयात को समाप्त करने पर है। देश में कोयले की अधिकांश जरूरतें स्वदेशी उत्पादन और आपूर्ति के जरिए पूरी की जाती है। वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा गया है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपनी संविदात्मक मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कोयला आयात के विकल्प के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. उन मामलों में जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 90% तक घटा दिया गया था (गैर-तटीय) अथवा जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 70% तक घटा दिया गया था (तटीय विद्युत संयंत्र) वहां वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि से घरेलू कोयले की आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे आयात निर्भरता कम होगी।

ii. शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के प्रावधानों के तहत, पावर एक्सचेंजों में किसी भी उत्पाद के माध्यम से अथवा दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा अथवा अल्पावधि में उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री के लिए अल्पावधि हेतु कोयला लिंकेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए दिए जाने वाले कोयले के साथ-साथ एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाने से कोयला आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

iii. सरकार ने 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत खरीद आवश्यकता (पीपीए) को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तरों पर होने के बावजूद कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के इस निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया था। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक आईएमसी की 11 बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है, ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, देश द्वारा संपूर्ण प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले की पूर्ति की जानी चाहिए और अत्यंत आवश्यक के अलावा कोई आयात नहीं होना चाहिए।

v. एनआरएस लिंकेज नीलामियों के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयले का उपयोग करने वाला इस्पात' बनाया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी और देश में वाश्ड कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी।

vi. कोकिंग कोल मिशन की शुरुआत इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोल की आपूर्ति बढ़ाने तथा कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए की गई है। कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई है।

(ङ) : जी हां। कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में संविदा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(च) : कोल इंडिया लिमिटेड/उसकी सहायक कंपनियों ने ठेका कामगारों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. ठेकेदार कामगारों को द्विपक्षीय उच्चाधिकार प्राप्त/संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी प्रदान की जाती है।

ii. गैर-खनन गतिविधियों में लगे ठेकेदारों के कामगारों को उपयुक्त सरकार द्वारा यथा निर्धारित मजदूरी प्रदान की जाती है।

iii. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ठेकेदार कामगारों को उपयुक्त्ता के अनुसार बोनस का भुगतान किया जाता है।

iv. खनन गतिविधियों में लगे ठेकेदारों के कर्मचारी, यथा लागू, निष्पादन प्रोत्साहन के भुगतान के पात्र हैं।

v. कोल इंडिया लिमिटेड/इसकी सहायक कंपनियों के प्रतिष्ठानों में तैनात ठेकेदार के कामगारों को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

vi. घातक खान दुर्घटना के मामले में ठेकेदार कामगारों के निकटतम रिश्तेदार को 15 लाख रू. की राशि का भुगतान किया जाता है।

vii. ठेकेदारों के कामगारों के संबंध में सभी वैधानिक भुगतान, यथा लागू संबंधित अधिनियम/नियमों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा किए जाते हैं।

viii. सभी पात्र ठेकेदार के कामगार ईपीएफ/सीएमपीएफ के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।

ix. ठेकेदार के कामगारों को पेयजल, विश्राम-आश्रय, कैंटीन, शौचालय, प्रारंभिक/आवधिक चिकित्सा जांच, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

******